जनमत के दबाव में सूचना के अधिकार अधिनियम में संशोधन रुका

माजा दारूवाला और वेंकटेश नायक

जब सरकार ने अधिनियम को ऐसे सीमित करने का प्रयास किया, जिससे जनता की छानबीन से फाइल नोटिंग (पत्रावली की टिप्पणियां और आदेश) हट जाती तो देश को गहरा आघात लगा।

भारत सरकार ने इस वर्ष अगस्त में सूचना के अधिकार के पक्षधर सक्रिय कार्यकर्ताओं, नागरिक अधिकारों के समर्थकों के विरोध और प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ताओं की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को देखते हुए सूचना के अधिकार (संशोधन) विधेयक 2006 को संसद में पेश करना स्थगित कर दिया। निस्संदेह यह जनता और मीडिया की विजय है, जिन्होंने सरकार को सूचना की परिभाषा को सीमित करके अधिनियम के क्षेत्र को संकुचित करने से रोकने में सफलता प्राप्त की।

सूचना का अधिकार अधिनियम, जो संसद द्वारा पिछले वर्ष पारित किया गया, नया है और अपना काम शुरू ही कर रहा है। देश भर में शिक्षित और अशिक्षित इसे वास्तविक स्वरूप प्रदान करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके प्रयासों से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है और फैसले करने में मनमानी समाप्त हुई है। अतः यह स्वाभाविक है कि जब सरकार ने अधिनियम को ऐसे सीमित करने का प्रयास किया, जिससे जनता की छानबीन से फाइल नोटिंग (पत्रावली की टिप्पणियां और आदेश) हट जाती तो देश को गहरा आघात लगा। प्रस्तावित संशोधन से जनता यह जानने का अधिकार खो देती कि किन परिस्थितियों और किस कार्यविधि से और किसकी सलाह पर उनके विधायक और सरकारी अफसर छोटे बड़े फैसले करते हैं। पत्रावली–टिप्पणी एक व्यापक शब्द है, जो सरकारी कार्यालय में विचाराधीन किसी भी विषय पर फैसला करने के लिए अफसरों की पत्रावली में अंकित राय, सलाह और सिफारिशों की ओर संकेत करता है।

विरोधों की व्यापकता से चिन्तित होकर 26 जुलाई को प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक खंडन जारी किया। प्रकाशनार्थ विज्ञप्ति में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया था कि "केन्द्रीय मंत्री परिषद् ने पिछले सप्ताह अधिनियम में एक संशोधन को मंजूरी प्रदान की जिसमें विशेष रूप से यह व्यवस्था है कि सरकार की विकास और सामाजिक प्रश्नों से संबंधित सभी योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यक्रमों की 'फाइल–नोटिंग' प्रकट की जाएगी।" लेकिन उसे क्यों स्पष्ट किया जा रहा है जिसके विषय में कभी कोई संदेह ही नहीं था।

विकास और सामाजिक प्रश्नों से संबंधित इस वर्ग की सूचना जिसे 'फाइल नोटिंग' कहा जाता है, कोई विशेष नहीं है। इसे किसी भी प्रकटीकरण छूट के अंतर्गत, जो मोटे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यापारिक स्पर्धा और निजी प्राइवेसी से संबंधित है, कभी भी सूचना के अधिकार अधिनियम के आधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं रखा गया। इसे 'सूचना' की परिभाषा के अंतर्गत भी अपवाद की श्रेणी में नहीं रखा गया।

फाइल नोटिंग की स्थिति के बारे में भ्रम कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने जानबूझ कर पैदा किया, जो राष्ट्रीय स्तर पर सूचना के अधिकार अधिनियम को कार्यान्वित करने वाला केंद्रीय अभिकरण है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट ने अधिनियम के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर में सदैव इस बात पर ज़ोर दिया कि फाइल नोटिंग 'सूचना' की परिभाषा का अंग नहीं है।

केन्द्रीय सूचना आयोग ने, जो अधिनियम के अंतर्गत नवगठित अपीलीय संगठन है, कम से कम दो फैसलों में स्पष्ट किया है कि फाइल नोटिंग 'सूचना' और 'रिकॉर्ड' शब्दों की परिभाषा के आधिकार क्षेत्र में स्पष्ट रूप से आती है और उसने हाल ही में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को वेबसाइट से अपनी व्याख्या न हटाने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया।

किसी कानून का महत्व उसकी सूक्ष्मता में होता है। कुछ विशेष वर्ग की सूचना जनता को उपहार में उपलब्ध कराने का आभास करा कर, संशोधन वास्तव में अन्य सभी वर्गों की फाइल नोटिंग, अगर वह विकास ओर सामाजिक मुद्दों से संबंधित नहीं है, जनता के अवलोकन और निरीक्षण से परे कर रहा है। इस तरह सभी फाइल नोटिंग विवाद में पड़ जाएंगी।

इस तरह एक बार फिर अधिकारियों के विवेकाधीन अधिकारों में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी और वे फाइल में अंकित किसी भी विषय की सूचना और राय से जनता को वंचित कर सकेंगे। जहां मामलों में सीमित संख्या में सूचना दी जाएगी, फाइल पर

●● एक देश के लिए जो भ्रष्टाचार, कुनबापरस्ती, प्रभाव बिक्री और कार्यविधि के दुरुपयोग के कारण रसातल को जा रहा हो, सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्रकटीकरण की धूप से बेहतर रोगाणुनाशी और क्या हो सकता है। ●●

टिप्पणी लिखने वालों का नाम गुमनाम रहेगा। एक बार फिर हम कर वसूलने और संरक्षण पर आधारित सरकार से नियम आधारित सरकार की ओर, जिसमें हर सार्वजनिक कर्मचारी का कार्य सुस्थापित मानकों और प्रक्रिया के अनुसार होता है, एक इंच भी नहीं बढ़ेंगे।

अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों में सार्वजनिक संस्थानों के विचार विमर्श में पारदर्शिता की ओर संकेत किया जाता है। अमरीका में नागरिकों को किसी नीति के तैयार करने अथवा की गई कार्रवाई के बारे में कर्मचारियों की राय का रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाता है। जर्मनी, इज़राइल, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, उगांडा और अन्य कई देशों में नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने के कार्यात्मक कानून हैं। फाइल नोटिंग देने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। उन्हें जनहित में प्रकट किया जाना चाहिए, क्योंकि जनता को यह जानने का अधिकार है कि क्या सरकार को नीति तैयार करने या कार्रवाई पर विचार करते समय अपने अधिकारियों से सही और कानूनन उचित राय मिली थी। जब सरकार जनता की रक्षा के लिए अत्याधुनिक सैनिक उपकरणों की आकांक्षा करती है, उसकी स्वास्थ्य रक्षा के लिए सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं चाहती है, सर्वोत्तम परिवहन और संचार सुविधाएं चाहती है और नवीनतम सूचना टेक्नॉलाजी सिस्टम चाहती है तो वह निम्नतर स्तर की पारदर्शिता और जवाबदेही क्यों चाहती है?

फाइल नोटिंग के बारे में शोर–गुल के वाद–विवाद के दौरान दो और अधोगामी संशोधनों की सूचना मिली। पहली का संबंध उस सामग्री को प्रकट करने के संबंध में है जिसके आधार पर मंत्री परिषद् फैसले करती है। इस समय मंत्री परिषद् का फैसला होने के बाद यह सामग्री प्रकट की जा सकती है लेकिन प्रस्तावित संशोधन के बाद ऐसा नहीं किया जाएगा। यह इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत के प्रत्येक मतदाता–करदाता को यह जानने का अधिकार है कि संघ या राज्यों के स्तर पर मंत्री परिषदों ने किस सामग्री के आधार पर निर्णय किए।

दूसरा प्रस्तावित संशोधन विभिन्न सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा अपनाई गई भर्ती और परीक्षा प्रक्रिया के बारे में है। यह इस डर से किया जा रहा है कि सूचना के अधिकार अधिनियम का इस्तेमाल परीक्षाओं से पहले प्रश्नपत्र पूछने के लिए किया जा सकता है या साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों को प्रभावित करने के लिए उनके नाम पूछने के लिए किया जा सकता है। इस बारे में कोई संशोधन लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अधिनियम में ऐसी सूचनाओं की रक्षा करने की पर्याप्त व्यवस्था है जिससे तीसरे पक्ष की प्रतियोगी स्थिति को आघात लगे। यह व्यवस्था ऐसी सूचनाओं को प्रकट करने पर भी लागू की जा सकती है जिससे किसी परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

वास्तव में प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य भर्ती परीक्षाओं के उम्मीदवारों की जांची हुई उत्तर पुस्तिकाओं संबंधी सूचना के प्रकट होने और नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने से रोकना है। हमारी अनेक शिक्षण संस्थाएं उम्मीदवारों को उनकी उत्तर पुस्तिकाएं और उन्हें प्राप्तांक देखने का अवसर प्रदान कर रही है जिनसे उम्मीदवार को यह संतुष्टि हो सके कि मूल्यांकन सही और उचित ढंग से हुआ है। इससे मूल्यांकन में व्यक्तिनिष्ठता और अनुचित प्रभाव की आशंकाएं समाप्त हो जाती हैं। एक देश के लिए जो भ्रष्टाचार, कुनबापरस्ती, प्रभाव बिक्री और कार्यविधि के दुरुपयोग के कारण रसातल को जा रहा हो, सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्रकटीकरण की धूप से बेहतर रोगाणुनाशी और क्या हो सकता है। विशेष रूप से जब नियुक्ति और भर्ती का प्रश्न हो।

सूचना के अधिकार अधिनियम में उसके क्रियान्वयन के प्रारम्भिक चरण में कुछ लोगों की लापरवाही और ग़लत कार्यों को छिपाने के लिए संशोधन करने से एक ग़लत नज़ीर (पूर्वनिर्णय) कायम होगी। जब कभी प्रशासक किसी प्रावधान को असुविधाजनक पाएंगे तो वे अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव करेंगे।

स्वतंत्रता की कीमत निरन्तर चौकसी है। लेकिन चौकस रहने के लिए भी सूचना की ज़रूरत होती है। जहां सरकार ने संशोधन करने का प्रस्ताव छोड़ दिया है जनता के लिए चौकस रहना ज़रूरी है। क्योंकि सरकार संसद के शीतकालीन अधिवेशन में इन संशोधनों को पेश कर सकती है। जनता को रणनीति बनाकर सरकार के सूचना अधिकार को कमज़ोर करने के प्रयासों को रोकना होगा।

(लेखकद्वय राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल में क्रमशः निदेशक और कार्यक्रम समन्वयक हैं।)